पत्र संख्या-स्था-5(ख)-पदोन्नति वरिष्ठ सहायक-2022-23// 1928 //राज्य कर

कार्यालय-आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश।

(स्थापना अराजपत्रित अनुभाग)

लखनऊ // दिनांक // 25 जुलाई, 2022

**समस्त संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक) /**
**आहरण वितरण अधिकारी, राज्य कर,**
**उत्तर प्रदेश।**

अवगत कराना है कि वर्तमान में चयन वर्ष 2022-23 की उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर कनिष्ठ सहायक से वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति हेतु चयन की कार्यवाही विभागीय चयन समिति के माध्यम से सम्पादित करायी जानी है। उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग लिपिकीय संवर्ग सेवा नियमावली-2014 के नियम-7(2) में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत 05 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण करने वाले कनिष्ठ सहायकों को ही वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति हेतु नियमानुसार पात्रता सूची में रखा जा सकता है। राज्य कर विभाग में दिनांक 30-06-2017 तक कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्यभार ग्रहण करने वाले कार्मिकों द्वारा चयन वर्ष 2022-23 के प्रथम दिवस दिनांक 01-07-2022 को 05 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण कर ली जायेगी, जिस कारण सेवा नियमावली में दिये गये प्राविधानानुसार इन कार्मिकों की वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति के सम्बन्ध में कार्यवाही कराया जाना प्रस्तावित है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 30-06-2017 तक नियुक्त समस्त कनिष्ठ सहायकों की अपूर्ण वार्षिक प्रविष्टियाँ पूर्ण कराते हुए अद्यावधिक मूल चरित्र पंजिकायें तथा निम्नलिखित निर्धारित प्रारुप-क में सूचना मुख्यालय को **प्रत्येक दशा में दिनांक 05-08-2022 तक** भिजवाया जाना सुनिश्चित करें :-

**-:: प्रारुप-क ::-**

| क्र0 सं0 | कर्मचारी का नाम | ज्येष्ठता सूची का क्रमांक | मौलिक नियुक्ति की तिथि / कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्यभार ग्रहण तिथि | स्थायीकरण की तिथि | वर्तमान तैनाती स्थान का नाम | यदि अनुशासनिक / अभियोजन की कार्यवाही / सतर्कता जॉच / ई0ओ0 डब्ल्यू0 की जॉच चल रही है अथवा ऐसी किसी कार्यवाही के फलस्वरुप कोई आदेश / दण्डादेश पारित किया गया है अथवा उसके किसी प्रत्यावेदन का निस्तारण किया गया है, तो उसका विवरण जिसमें वर्ष 2012-13 से वर्ष 2021-22 तक की अवधि में यदि कोई प्रतिकूल प्रविष्टि / मन्तव्य आदि अंकित किया गया है तो उसका विवरण भी उसके विरुद्ध दिये गये प्रत्यावेदन की स्थिति सहित अंकित किया जाये। |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |

कृपया यह भी सुनिश्चित कर लें कि सम्बन्धित कार्मिकों की चरित्र पंजिकाओं में चस्पा वार्षिक प्रविष्टियाँ मूल रुप में, स्वीकर्ता अधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित / स्वीकृत हो तथा दण्डादेशों / प्रतिकूल कार्यवाही विषयक आदेशों की प्रतियाँ भी संलग्न हों।

**स्मरण रहे कि उपरोक्त निर्धारित प्रारुप के स्तम्भ-7 में वांछित सूचना तथा अन्य वॉछित अभिलेख निर्धारित समयावधि में मुख्यालय को उपलब्ध कराया जाना नितान्त आवश्यक है। यदि निर्धारित समयावधि में उक्त वॉछित सूचनाएँ मुख्यालय पर अप्राप्त रहती है एवं चयन की कार्यवाही में ऐसी किसी सूचना / प्रविष्टि के अभाव में अन्यथा निर्णय लिये जाने की स्थिति उत्पन्न होती है तो उसके लिये आप स्वयँ उत्तरदायी होगें।**

(सुधा वर्मा)
अपर आयुक्त (प्रशासन) राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

<u>पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनांक // उक्त।</u>

<u>प्रतिलिपिः-</u> निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- अपर निदेशक, राज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान, गोमतीनगर लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 30-06-2017 तक के नियुक्त कनिष्ठ सहायकों के सम्बन्ध में उपरोक्तानुसार वॉछित सूचना एवं चरित्र पंजिका कृपया निर्धारित समयावधि में मुख्यालय को उपलब्ध कराये जाने का कष्ट करें।

2- समस्त जोनल अपर आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त वॉछित सूचनाएँ मुख्यालय पर निर्धारित समयावधि में उपलब्ध कराये जाने हेतु अपने अधीनस्थ कार्यालयों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

3- ज्वाइन्ट कमिश्नर (आई0टी0) वाणिज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि पत्र को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

4- पटल प्रभारी स्था-5(क) एवं चरित्र पंजिका प्रकोष्ठ, (स्थापना अराजपत्रित अनुभाग) राज्य कर मुख्यालय, लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि मुख्यालय में दिनांक 30-06-2017 तक नियुक्त समस्त कनिष्ठ सहायकों के सम्बन्ध में उपरोक्तानुसार वॉछित सूचना एवं चरित्र पंजिका सारांश निर्धारित समयावधि तक पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

(पी0एन0यादव)
संयुक्त आयुक्त (स्था0अराज0) राज्य कर,
मुख्यालय, लखनऊ।